



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2008/वैशाख 26, 1930

No. 673]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2008/VAISAKHA 26, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2008

का.आ. 1168(अ).—यतः, नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार 14 नवम्बर, 2007 की सं. का.आ. 1934(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः, केन्द्र सरकार ने, मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है। बशर्ते कि मौजूदा अनधिकृत कालोनी के साथ-साथ डिफेंस अपनी भूमि पर उचित सड़क मुहैया कराए।

संशोधन :

जोन-एफ में 13 एकड़ भूमि में से 3.157 हेक्टे. (7.8 एकड़) के निम्न क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा
1	2	3	4	5
जोन-एफ में कालिन्दी कालोनी के समीप मथुरा रोड पर सीआरआरआई	13 एकड़ में से 3.157 हेक्टे. (7.8 एकड़) शेष 5.2 एकड़ भूमि को मनोरंजन उपयोग जोन (डिस्ट्रिक्ट पार्क) के रूप में रखना	“मनोरंजन” (डिस्ट्रिक्ट पार्क)	सीआरआरआई कैम्पस के लिए रिहायश	उत्तर पश्चिम —रिहायशी क्षेत्र (कालिन्दी कालोनी) उत्तर पूर्व —डिस्ट्रिक्ट पार्क दक्षिण पश्चिम —मोरा महिला पोलिटैक्निक दक्षिण पूर्व —डिस्ट्रिक्ट पार्क

[सं. के-13011/1/2005-डी डी Iबी]

पी. के. सांतारा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2008

S.O. 1168(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1934(E) dated 14th November, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 3.157 ha. (7.8 acres) out of 13 acres of land in Zone-F is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
CRRI on Mathura Road adjacent to Kalindi Colony in Zone-F	3.157 ha. (7.8 acres) out of 13 acres retaining the remaining land of 5.2 acres as 'recreational use Zone (District Park)'	'Recreational (District Park)'	'Residential' for the CRRI Campus	North-West— Residential Area (Kalindi Colony) North-East— District Park South-West—Meera Women's Polytechnic South-East—District Park

[No. K-13011/1/2005-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.